राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकःएफ.8 (परीक्षा केन्द्र) अकाद/आकाशि/2022/111 दिनांकः 28 जून, 2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय की PGDCA, PGDYT एवं शिक्षा शास्त्री परीक्षाओं हेतु राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक निस/प्रशा/उएवंतशि/2023/82 दिनांक 09.06.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय की PGDCA, PGDYT एवं शिक्षा शास्त्री परीक्षाओं हेतु राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र उपलब्ध करवाने उल्लेख किया है, इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु आपके महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने पर आप भौतिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए वीक्षक एवं अन्य दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए अपने महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय सम्बद्वक विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षार्थियों की बैठक क्षमता को मध्यनजर रखते हुए केन्द्र निर्धारण हेतु सहमति प्रदान करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. उपकुलसचिव, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय संबंधित को अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Designation: Additional Commissioner
Date: 2023.06.14 10:30:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 4030570

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

....

क्रमांकः निस / प्रशास / उएवंतशि / 2023 / 82 जयपुर, दिनांकः 09.06.2023

आयुक्त,
कालेज शिक्षा,
राजस्थान जयपुर।

विषयः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय की PGDCA, PGDYT एवं शिक्षा शास्त्री परीक्षाओं हेतु राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय की PGDCA, PGDYT एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश का कोई भी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सम्बद्ध नहीं है। उक्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धताप्राप्त निजी संस्थाओं में परीक्षएं आयोजित कराने पड़ती है। अतः परीक्षाओं के आयोजन में पूर्ण पारदर्शिता बरते जाने के दृस्टिगत उक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं उच्च शिक्षा के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में आयोजित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त मूल पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, कुलपति, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग , शासन सचिवालय , जयपुर

9/6/2023

निजी सचिव,
प्रमुख शासन सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

Helpline No.:-(+91)-7597122440
जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551–75

क्रमांकः प.( )/जरारासंविवि/परीक्षा/23/ दिनांकः 09.06.23

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव
उच्च शिक्षा
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– राज्य के विभिन्न जिलों में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय की **PGDCA, PGDYT, Shiksha Sastri** परीक्षाऐं आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित **PGDCA, PGDYT, Shiksha Sastri** हेतु प्रदेश का कोई भी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सम्बद्ध नहीं है। उक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाऐं प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित कराई जाती है। उक्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धताप्राप्त निजी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाऐं उस शहर/जिले में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय स्थापित नहीं होने से परीक्षाऐं निजी संस्थाओं में आयोजित करानी पड़ती है।

अतः परीक्षा संबंधित अतिमहत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत कृपया विश्वविद्यालय के उक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाऐं जिन शहर/जिले में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय स्थापित नहीं है, में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में आयोजित करने की अनुमति प्रदान कराने का श्रम करावें।

भवदीय

उप कुलसचिव